सत्यमेव जयते

PARTICIPANT HANDBOOK

Automotive

Language:
Hindi

DRIVER CUM MECHANIC

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation

Orion Edutech®
ISO 9001:2015 CERTIFIED
Funded Partner of NSDC

DRIVER CUM MECHANIC

ड्राइवर कम मैकेनिक (चालक सह यंत्र प्रवीण)

Orion Edutech™
ISO 9001:2015 CERTIFIED
Funded Partner of NSDC

Orion House, 28, Chinar Park, Rajarhat Road
Kolkata – 700157, Ph.: +91 33 40051635

www.orionedutech.com

स्वागत टिप्पणी

प्यारे प्रतिभागी,

ड्राईवर सह मैकेनिक 'प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है इस कार्यक्रम के पूरा होने पर ,यह उम्मीद है कि आप ऑटोमोबाइल उध्दयोग में एलएवी चालक,वाणिज्यिक वाहन चालक ,टैक्सी चालक या ड्राइविंग सहायक के रुप में शामिल होंगे ।ड्राईविंग सहायक या मैकेनिक के रुप में।आप वाहन के हिस्सो को चिकनाई करने में सक्षम होंगे,दोषो का पता लगा सकते हैं,दोषो का पता लगा सकते है।और विभिन्न प्रकार के हल्के मोटर वाहनो के मामूल रिख रखाव में भाग ले सकते है।

प्रत्येक मॉडयूल को पढें,अपनी मुख्य शिक्षाओं को लॉग इन करें और अंत में कार्यपत्रक प्रश्नों का प्रयास करें।

प्रशिक्षु के लिए सामान्य निर्देश:

1. जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं ,तो अपने प्रशिक्षक और अन्य प्रतिभागियों को नमस्कार करें
2. हमेशा हर वर्ग के लिए समय पर रहें।
3. नियमित रहें अपेक्षित उपस्थिति से कम होने वाले अभ्यार्थियों को प्रमाणित नही लिया जाएगा।
4. अपने प्रशिक्षक को सूचित करें यदि,किसी कारण से कारण से अपको कक्षा में न जाना हो।
5. ध्यान दें कि आपका प्रशिक्षक क्या कह रहा है या दिखा रहा है।
6. अगर आपको कुछ समझ में नही आता है,तो अपना हाथ उठाए और अपने सवाल का समाधान ले।
7. सुनिशिचित करें कि आप इस पुस्तक में प्रत्येक मॉडयूल के अंत में सभी अभ्यास करते हैं।यह आपको अवधारणाओं को बेहतर समझने में मदद करेगा ।
8. जितनी संभव हो सके उतनी बार सीखने वाले किसी भी नए कौशल का अभयास करें।अभयास के लिए अपने ट्रेनर या सहक्षप्रतिभागी की मदद लें।
9. बिजली और उपकरणों के साथ काम करते समय,अपने ट्रेनर द्वारा निर्देशित सभी जरूरी सावधानी बरतें।
10. ध्यान रहे की आपके कपडे साफ और प्रदर्शनीय हो।
11. प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों ,चर्चाओं और खेलों में सक्रिय रुप से भाग लेना।
12. कक्षा में आने से पहले हमेशा स्नान करें,साफ कपडे पहनें और अपने बालो को कंघी करें।
13. तीन सबसे महत्वपूर्ण शबदों को आप हमेशा याद रखना चाहिए और अपने दैनिक बातचीत में उपयोग करना चाहिए,कृपया,थन्यबाद और माफ करें

Chalti का NAAM GAADI

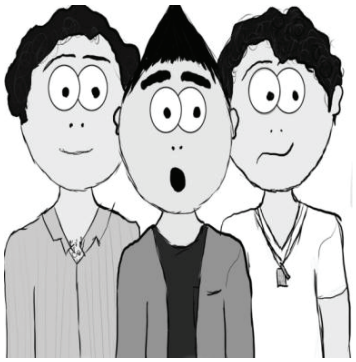

एक बार की बात है,तीन भाई थे - बृजमोहन,मनमोहन और जगमोहन। तीनो भाई धनी परिवार के ड्राइवर थे। उनका जीवन काफी सुखमय व्यतित हो रहा था और वे सब अपनी-अपनी आय से भी खुश थे।

एक दिन बृजमोहन और मनमोहन अपने-अपने काम पर गए पर जगमोहन नहीं गया क्योंकि उस दिन उसकी छुट्टी का दिन था। दुर्भायवश ब्रीजमोहन जो गाड़ी चला रहा था वह रास्ते में ही खराब हो गई। वह काफी घबरा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपने मालिक को लेने एयरपोर्ट जान था और उसे जल्दी भी थी। जैसा कि वह अपने मालिक के बारे में जानता था तो वह बिल्कुल निश्चित था कि आज उसकी नौकरी चली जाएगी। सुबह-सुबह का समय था और पास में कोई गैरेज भी नहीं था। उसने जगमोहन को फोन किया :

जगमोहन: हाँ भाई क्या बात है ?

बृजमोहन: जग्गु,मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करुँ?

जगमोहन : ठीक है,ठीक है,पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है।

बृजमोहन: हे भगवान !

(फोन काट देता है)

इसके बाद ब्रीजमोहन हिचकिचाते हुए मनमोहन को फोन करता है।

मनमोहन : हाँ बृज ?

बृजमोहन: मन्नु,मेरी गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है,मैं क्या करुँ?

मनमोहन : अभी तुम कहाँ हो?

बृजमोहन: मैं अभी एम०जी० रोड के पास में हूँ। जल्दी आओ।

मनमोहन : मैं पाँच मिनट में आता हूँ।

15 मनिट के बाद

मनमोहन : बृज,अब गाड़ी स्टार्ट करो,अब यह ठीक काम कर रही है। इस गाड़ी की बैटरी में थोड़ी खराबी आ गई थी पर अब यह बिल्कुल ठीक है।

बृजमोहन: (मनमोहन का हाँथ पकड़ के) तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया मन्नु।

मनमोहन : इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता था कि गाड़ी ठीक करने की कला जान लो। मात्र एक ड्राइवर होने से अच्छा है कि तुम एक ड्राइवर कम मैकेनिक भी बन जाओ।

बृजमोहन ने अपना सर हिलाया और खुशी-खुशी अपनी गाड़ी स्टार्ट की।

परिचय

उपरोक्त कहानी से हमें पता चला कि ड्राइविंग करने वाला कोई भी कार के तंत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए।इससे उसे कार चलाने के लिए आत्मविश्वास मिलेगा।

अव्यवस्थि भारतीय सड़को के माध्यम से सुरक्षित रुप से ड्राइविंग के लिए एक की तुलना में अधिक सावधानी बरती जा सकती है।जब आप सड़को पर अपनी कार लेते हैं,तो सबसे पहले आप देखते है कि कार और अन्य वाहन अलग-अलग पक्षों से एक दूसरे से आगे निकल जाने का प्रयास करते है।इसलिए,जब आप कार के पहियों के पीछे पहुंचते है तो सुरक्षा पहली प्राथमिकता बन जाती है.

इसलिए आवशयक है एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो एक ड्राइव लाइट मोटर वाहनो को पूर्ण सुरक्षा वाले कारों जैसे यातायात में ड्राइविंग सिर्फ वाहन को नियंत्रित करने वाले तंत्र को संचालित करने का तरिका बताता है:इसे सडक के नियमो को लागू करने की आवश्यकता है,जो सुरिक्षत और कुशल ड्राइविंग सुनिश्चित करता है।

एक शिक्षित चालक को हमेशा वाहन संभालने की मूल बातें समझने के लिए सहज ज्ञान युक्त समझ प्राप्त होगी जो उसे न केवल सुरक्षित और सतर्क रखेगी बल्कि सडको पर ड्राइविंग करते समय भी पूरा विश्वास रखता है।ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए,विभिन्न प्रकार की सड़को और सतहों पर भारी और हल्के मोटर वाहनो को चलाने के बारे में भी पता चल जाएगा।

विषय-सूचा (ड्राइवर कम मैकेनिक)

अध्याय - 1

ड्राइविन्ग के नियम और कानून,ज्ञान तथा चलाने की समझ

1.1 मोटर वाहन अधिनियम- 1988

1.2 ड्राइविंग और वाहनों से संबंधित कुछ सामान्य शब्द

1.3 ड्राइवरों का लाइसेन्स

1.4 भारत में ड्राइविन्ग लाइसेन्स

1.5 कनडक्टर का लाइसेन्स

1.6 मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन

1.7 राज्य के आधार पर क्षेत्रीय परिवहन ऑफिस (आर टी ओ) श्रेणी

1.8 परिवहन वाहनों का नियंत्रण

1.9 ट्रैफिक पर नियंत्रण

1.10 कुछ मामलों में गलती के बिना दायित्व

1.11 मोटर वाहन की बीमा

1.12 दावा न्यायाधिकरण

1.13 अपराध,दंड और प्रक्रियाएं

अध्याय - 2

मोटर वाहन के विभिन्न युनिटों के ले०आउट

2.1. मोटर वाहन के पुर्जे:

2.2. विभिन्न प्रकार के क्लच

2.3. गीयर बॉक्स

2.4. विभिन्न प्रकार के ब्रेक

2.5 विभिन्न प्रकार के टायर

अध्याय - 3

मोटर वाहन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरण

3.1 मोटर वाहन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरण

3.2 एक वाहन में इस्तेमाल अन्य उपकरण:

अध्याय - 4

भारत में रोड से संबंधित मुख्य नियम

4.1. सड़क सुरक्षा

4.2. वाहन सुरक्षा के सुझाव

4.3. प्राथमिक चिकित्सा कीट

अध्याय - 5

विभिन्न कार्यात्मक गतिविधियाँ

5.1. कार स्टार्ट करने से पहले चेक करना

5.2. पहिया संरेखण

5.3. अपने टायर का निरिक्षण कैसे करें

5.4. टायर चेन्ज कैसे करना चाहिए

5.5. वाइपर ब्लेड्स कब चेक करना चाहिए?

5.6. क्लच कन्ट्रोल

अध्याय - 6

शीतलक(शीतल करने वाला) और स्नेहन प्रणाली

6.1. शीतलक प्रणाली

6.2. विभिन्न प्रकार के ईधन

6.3. तेल के स्तर की जाँच

6.4. कार में द्रव की जाँच

6.5. उद्गार पीरक्षण

6.6. CNG और LPG गैस

अध्याय - 7

विद्युतीय नियंत्रण मापदण्ड और बैटरी

7.1. ईलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोल युनिट

7.2. बैटरी

अध्याय - 8

एक ड्राईवर की जिम्मेदारियाँ

8.1. एक ड्राइवर का कर्तव्य

8.2. वाहन की सफाई

8.3. ड्राइव करने की जरुरी सीख

8.4. सुरक्षित और किर्यात्मक ड्राइव

अध्याय - 9

भारतीय सड़कों पर वाहन

9.1. ऑटोमोबाइल सेक्टर

9.2. भारत में उपलब्ध वाहनों के प्रकार

9.3. भारत में अंतराष्ट्रीय कार और मोटर

9.4. भारत के भारी मोटर वाहन

अध्याय - 10

भारत में वाहनों की बीमा पॉलिसी

10.1. बीमा

10.2. भारत में मोटर वाहनों की बीमा

10.3. साधारण बहिष्करण

10.4. अतिरिक्त कवर-दायित्व वर्ग

10.5 छुट

अध्याय - 11

सड़क सुरक्षा,ड्रार्विन्ग के सुझाव और सड़क दुर्घटना

11.1. सड़क सुरक्षा

11.2. गीली सड़कों पर ड्राइव करना

11.3. ड्राइविंग के सुझाव

11.4. भारत में ड्राइवर नियम क्यों तोड़ते हैं?

11.5. ट्रैफिक के तथ्य पर आवश्यक सुचनाएँ

11.6 दुर्घटना के समय एक ड्राइवर का कर्तव्य

11.7. सड़क दुर्घटना

अध्याय - 12

कुछ महत्वपुर्ण तकनीकि शर्ते

अध्याय - 13

वैब सेवाये

13.1 विभिन्न वैब सेवाएं

13.2 टैक्सीचालक के शिष्टाचार और उतरदायित्व.

13.3 वैब बुकिंग और वैंसलिंग

13.4. वैब बुकिंग और वैंसलिंग

अध्याय - 14

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अध्याय - 1

ड्राइविन्ग के नियम और कानून,ज्ञान तथा चलाने की समझ

अध्ययन के परिणाम:

- ड्राइविन्ग से संबंधित कानून का ज्ञान
- ड्राइविन्ग लाइसेन्स की नीतियों का ज्ञान
- ट्रैफिक के सिगनल्स,कोड का ज्ञान

प्री-सत्र गतिविधि

- **ट्रेनर गाड़ी के विभिन्न हिस्सों में प्रशिक्षुओं को एक वीडियो सत्र दिखाएगा**

1.1 मोटर वाहन अधिनियम- 1988

- मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहनों से संबंधित नियम जैसे कि संविधान में उल्लेखित नियम,उपयोग और उन्हे सम्भालने के तरीको का वर्णन है।
- मोटर वाहन से संबंधित प्रथम नियम भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1914 है जिसे बाद में मोटर वाहन अधिनियम 1939 में परिवर्तित कर दिया गया।
- मोटर वाहन अधिनियम 1939 में समय-समय पर सुधार किया गया है।
- कई सुधार या परिवर्तन के कारण इसका एक विस्तार-पूर्वक नियम और कानून लाना आवश्यक हो गया।

1.2 ड्राइविंग और वाहनों से संबंधित कुछ सामान्य शब्द

- **मोटर वाहनों की परिभाषा "**
  - मोटर वाहन का अर्थ है यंत्रवत् संचालित वाहन
  - यह सड़कों पर आन्तरिक और वाह्य स्त्रोंत के साथ अधिक क्षमता के साथ चलने के लिए प्रयुक्त होता है।
  - इसमे एक चेसीस भी जुड़ा रहता है जिसे हम साधारण शरीर में नहीं देख सकते हैं।
  - मोटर वाहन साधारणत: हाईवे पर यात्रियों और अन्य सामानों को ढ़ोने तथा व्यावसायिक उद्देश्य से बनाए गए हैं।

➢ **" जुड़ा हुआ वाहन "**

इसका अर्थ है कि एक वाहन जिसमें छोटे ट्रेलर जुड़े हुए रहते हैं।

➢ **एक्सल भार**

- एक्सल भार एक ऐसी अधिकतम वितरित भार है जो एक एक्सेल के माध्यम से सड़क के वाहनों में जुड़ी होती है।
- एक्सल भार **FR** और **RR** से संकेतित होता है जो रेयर और फ्रंट एक्सेल के बारे में दर्शाता है।

➢ **रेजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट**

एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र जो यह जानकारी देता है कि मोटर वाहन,अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजिकृत किया गया है।

➢ **कनडक्टर**

- **कनडक्टर हमेशा निम्न चीजों के साथ संलग्न होता है**

1. यात्रियों से किराया लेने के लिए
2. उनकी एन्ट्रि और एक्सिस्ट के संचालन के लिए
3. सामान उठाने के समय
4. कुछ अन्य समान कार्यो के लिए

➢ **कॉन्ट्रैक्ट कैरिज**

- एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज किसी सामान और यात्री के बीच बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है।
- यह उल्लेखित विषय पर यात्री के साथ कर्तव्य, अधिकार और सत्यापन का समझौता होता है।

➢ **माल गाड़ी**

ऐसे मोटर वाहन जिनका निर्माण केवल माल की ढुलाई के लिए किया जाता है।

➢ **वाहन का ग्रॉस वजन**

- वाहन के ग्रॉस वजन का अर्थ है कि एक गाड़ी के वदन उठाने की अधिकतम सीमा
- वाहन के ग्रॉस वजन के अंतर्गत अतिरिक्त ट्रेलर को छोड़कर गाड़ी के चेसिस, बॉडी, ईन्जन, ईधन, उपकरण, ड्राइवर, यात्री और कागो आते हैं।

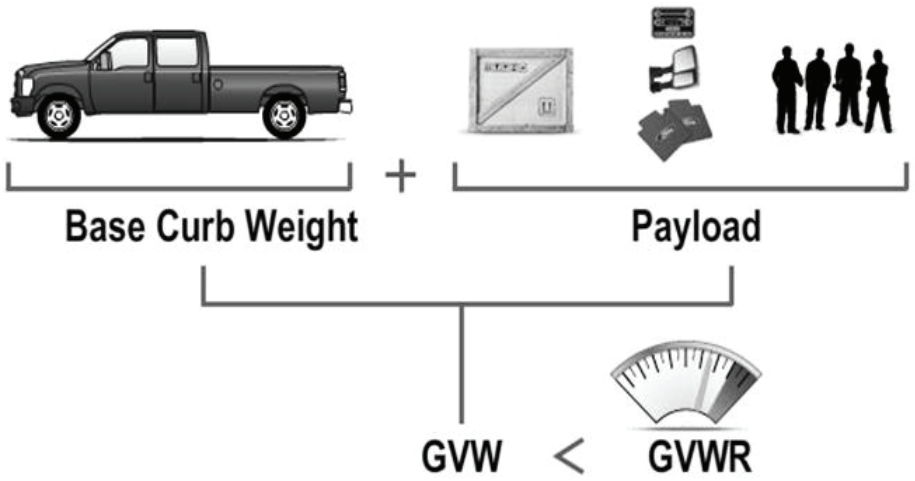

- **"सीखने वाले का लाईसेन्स"**

  अध्याय दो के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक आज्ञा पत्र है जिसके अनुसार व्यक्ति को एक लर्नर की तरह वर्णित गाड़ी. चलाने की स्वीकृति होती है।

- **"भारी सामान वाहक गाड़ियाँ "**

  यह एक ट्रैक्टर हो सकती है या रोड रोलर,ऐसी गाड़ियाँ जिनका वजन 12,000 कि०ग्रा० से अधिक हो उसे भारी सामान वाहक गाड़ी कहते हैं।

- **"मध्यम सामान वाहक गाड़ी "**

  हल्की वाहन या भारी सामान को ढ़ोने वाली गाड़ियों के अलावा जो भी गाड़ी होती है मध्यम समान वाहक गाड़ी कहलाती है।

- **"हल्की मोटर वाहन "**

  यदि किसी वाहन का भार 7,500 कि०ग्रा० के अंदर ही होता है तो वह इस श्रेणी के वाहनों में गिना जाता है।

➢ **"मालिक "**

एक व्यक्ति जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर होती है।

➢ **"परमिट"**

यह एक कार्यालयी कागज है जो एक व्यक्ति को गाड़ी चलाने की स्वीकृति देता है।

"रेजिस्ट्रेशन प्राधिकार"

अधिनियम के अध्याय चार में वर्णित मोटर वाहन को रेजिस्टर करने का प्राधिकार है।

"रुट"

यात्रा करने की दिशा,जो विशेष राजमार्ग के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की अनुमति देता है।

"अर्ध ट्रेलर या सेमी ट्रेलर"

- एक वाहन जो यँात्रिक रुप से चालित नहीं होता है(एक ट्रेलर के अलावा अन्य)
- एक मोटर वाहन से जुड़ा होना
- यह इस प्रकार बनाया गया होता है कि इसका एक हिस्सा परतदार होता है और कम वजन का होता है।

स्टेज कैरिज – स्टेज कैरिज का अर्थ है कि यह ड्राइवर को छोड़कर छह यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित होता है।

ट्रेलर– यह सेमी ट्रेलर और एक साइड कार को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के वाहन के लिए बानाया जाता है।.

अनलेडेन भार– इस भार के अंतर्गत बिना किसी सामान और यात्री के गाड़ी का वजन आता है।

भार– गाड़ी के चक्कों के उपर उठाया गया वजन.

अभ्यास :

A. रिक्त स्थानों की पुर्ति करें:

1. अध्याय दो के तहत सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को गाड़ी सीखने के लिए जो लाइसेन्स प्रदान करता है उसे _____ लाइसेन्स कहते हैं।
2. _____ भार एक ऐसी अधिकतम वितरित भार है जो एक एक्सेल के माध्यम से सड़क के वाहनों में जुड़ी होती है।
3. एक _____ कैरिज किसी सामान और यात्री के बीच बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है।

B. सठीक उत्तर का चयन करें:

1. मोटर वाहन का अर्थ किसी यंत्रवत्/तकनीकी रुप से चालित वाहन है। [ ]
2. एक अधिकारी अधिनियम के चौथे/सातवें अध्याय के तहत मोटर वाहन रेजिस्टर करने के लिए सशक्त है। [ ]
3. कोई भी वाहन,सेमी ट्रेलर और एक साइड कार को छोड़कर के लिए बानाया जाता है,उसे ट्रेलर/स्टेज कैरिज कहते हैं। [ ]

1.3 ड्राइवरों का लाइसेन्स

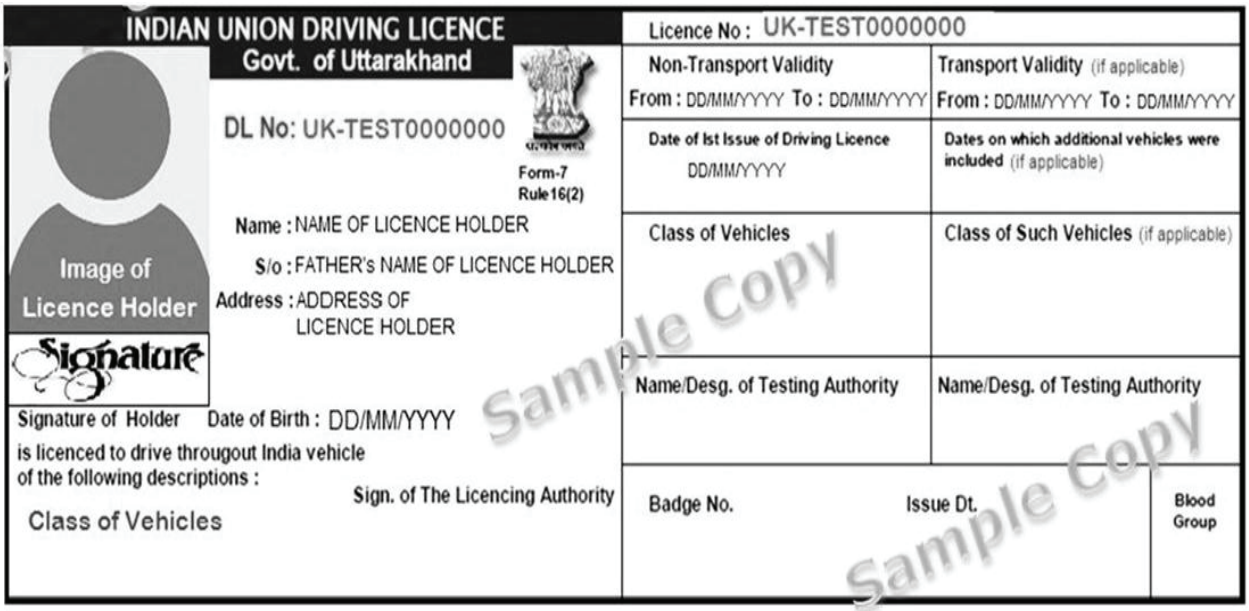
INDIAN UNION DRIVING LICENCE
Govt. of Uttarakhand

DL No: UK-TEST0000000

Form-7
Rule 16(2)

Name : NAME OF LICENCE HOLDER

S/o : FATHER's NAME OF LICENCE HOLDER

Address : ADDRESS OF LICENCE HOLDER

Image of Licence Holder

Signature

Signature of Holder

Date of Birth : DD/MM/YYYY

is licenced to drive througout India vehicle of the following descriptions :

Class of Vehicles

Sign. of The Licencing Authority

Licence No : UK-TEST0000000

Non-Transport Validity	Transport Validity (if applicable)
From : DD/MM/YYYY To : DD/MM/YYYY	From : DD/MM/YYYY To : DD/MM/YYYY
Date of Ist Issue of Driving Licence DD/MM/YYYY	Dates on which additional vehicles were included (if applicable)
Class of Vehicles	Class of Such Vehicles (if applicable)
Name/Desg. of Testing Authority	Name/Desg. of Testing Authority
Badge No. Issue Dt.	Blood Group

Sample Copy

Sample Copy

1. आपको एक लाइसेन्स की जरुरत क्यों होती है ?

- मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार,एक वैध ड्राइविन्ग लाइसेन्स सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी मोटर वाहन ड्राइव करने के लिए आवश्यक है। एक ड्राइविन्ग लाइसेन्स जिसकी जरुरत हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर एक मोटर वाहन ड्राइव करने के लिए पड़ती है।

2. यह आपको कहाँ से प्राप्त होती है ?

- यह हमें क्षेत्रिय परिवहन विभाग या आपके आवासीय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले मोटर वाहन निरिक्षक के पास से तभी मिलती है।

3. आप इसे कब पा सकते है ?

- सोलह वर्ष की आयु पुरी होने के बाद कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की सहमति से 50 सीसी की इन्जन तक की गाड़ी चला सकता है।
- अठारह वर्ष पूर्ण होने के बाद एक व्यक्ति 50 सीसी से अधिक इन्जन की गाड़ी चला सकता है।
- बीस वर्ष का आयु पूर्ण होने के बाद एक व्यक्ति परिवहन की गाड़ी चला सकता है।

4. आप एक लर्नर का लाइसेन्स कब पा सकते है?

एक आवेदक को लर्नर लाइसेन्स निम्नलिखित के साथ लाइसेन्स प्रदान करने वाले प्रधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रुप से प्रकट करना चाहिए:

- नियमित रुप में आवेदन
- शुल्क
- आयु प्रमाण पत्र,वाहन के लिए उपयुक्त। जैसे आयु प्रमाण पत्र,सेकेण्डरी स्कुल की सर्टिफिकेट,जीवन बीमा,पासपोर्ट आदि।
- निवास का प्रमाण ,राशन कार्ड,चुनावी रोल,बिजली/टेलीफोन बिल आदि जैसे व्यक्ति का नाम दिखा रहा है।
- आवश्यक्ता अनुसार मेडिकल कागज
- तीन तत्काल पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवहन वाहन के लाइसेन्स के लिए एक नियमित रुप में आवेदन के साथ-साथ एक वर्ष पुराना हल्के वाहन का लाइसेन्स होना अनिवार्य होता है।
- लर्नर के लाइसेन्स के लिए व्यक्ति को ट्रैफिक के सिगनल्स और ड्राइवर की जिम्मेदारियो वाली टेस्ट पास करनी होती है।
- इसके बाद लर्नर लाइसेन्स छह महिनों की अवधि तक के लिए पारित होती है और इसे एक बार और रिन्यु करवाया जा सकता है।

5. आप एक स्थाई लाइसेन्स कैसे पा सकते है ?

आवेदक को व्यक्तिगत रुप से एक रजिस्टर्ड वाहन के साथ लाइसेन्स प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत होना पड़ता है:

- एक नियमित आवेदन फॅार्म(विभाग द्वारा)
- टेस्ट और लाइसेन्स की शुल्क
- आवेदनकारी का एक महीने पुराना लर्नर लाइसेन्स
- चार तत्काल पासपोर्ट साईज फोटो

परिवहन वाहन के लिए आवेदनकारी को किसी ट्रेनिन्ग स्कुल से ट्रेन्निग की सर्टिफिकेट को भी साथ लाना आवश्यक है।

आवेदनकारी ने जिस प्रकार के लाइसेन्स का आवेदन किया है उस प्रकार के वाहन का टेस्ट पास करना पड़ता है।

6. ड्राइविन्ग लाइसेन्स कब तक के लिए मान्य होता है ?

- गैर-परिवहन वाहनों का लाइसेन्स शुरु होने की तिथि से बीस वर्षों के उसकी पचास वर्ष की आयु होने से पूर्व तक के लिए मान्य होता है।
- इसके बाद इसे प्रत्येक पाँच सालों के बाद रिन्यु करवाया जा सकता है।
- परिवहन वाहन का लाइसेन्स तीन वर्षों के लिए मान्य होता है और इसके बाद इसे रिन्यु करवाया जाता है।

7. वाहन चलाने के लाइसेन्स के प्रभावशीलता की सीमा क्या है ?

- कोई भी लाइसेन्स चाहे वह लर्नर हो या स्थाई,एक निश्चित अवधि के लिए जारी की जाती है और यह पुरे भारत में लागू होती है।

8. लाइसेन्स रिन्यु करने की क्या प्रक्रिया होती है ?

- किसी भी प्रकार के लाइसेन्स प्रधिकारी के पास इसका आवेदन कर सकते हैं। इसे रिन्यु करने की अवधि इसके समाप्ती की तारिख के बाद से आरंभ हो जाती है।

9. एक लाइसेन्स प्राधिकारी के पास आपका लाइसेन्स रद्द करने के क्या-क्या अधिकार होते हैं ?

एक लाइसेन्स प्राधिकारी के पास ऐसे अधिकार होते हैं जिसके माध्याम से वह आपके लाइसेन्स को रद्द कर सकता है। अगर एक लाइसेन्स होल्डर आदतन अपराधी,नशेड़ी या ड्रग का आदि हो तो 1985 के अधिनियम तहत लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेन्स रद्द होने का कारण है:

- उसने किसी आपराधिक उद्देश्य के लिए वाहन का इसतेमाल किया हो।
- उसके ड्राइविन्ग के रिकॉर्ड के अनुसार लगे कि यह साधारण लोगों के लिए खतरनाक है।
- अगर उसने किसी नकल स्कुल से ट्रेनिन्ग की नकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत की हो।
- अगर उसने अपनी ड्राइविन्ग से कुछ ऐसा कार्य किया हो जो जनहित के खिलाफ है।
- अगर वह टेस्ट पास नहीं कर पाता है।

10. किसी राज्य द्वारा ड्राइविन्ग लाइसेन्स के रजिस्टर को व्यवस्थित रखने के लिए क्या प्रक्रिया है ?

प्रत्येक राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स के आवश्यक कागजातों को व्यवस्थित रखे। इसके लिए एक फॅार्म में निम्न विवरण वर्णित रहते हैं:

- नाम
- पता
- लाइसेन्स नं०
- लाइसेन्स शुरु होने की तारिख
- लाइसेन्स की अंतिम अवधि
- ड्राइव करने के लिए गाड़ी का प्रकार और अन्य विवरण

1.4 भारत में ड्राइविन्ग लाइसेन्स

भारत में पचास सीसी इन्जन के मोटरसाईकल चलाने की न्युनतम आयु सोलह वर्ष है तथा इससे अधिक सीसी वाले इन्जन चलाने के लिए अठारह वर्ष है।

इन्हें याद रखें:

- मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए एक विधिवत् लाइसेन्स का होना अनिवार्य है।
- आवेदनकारी द्वारा टेस्ट पास करने और आवश्यक्तानुसार आयु पूर्ण होने के बाद क्षेत्रीय आरटीओ से लाइसेन्स पारित किया जाता है।
- भारत में ड्राइविन्ग लाइसेन्स होती है- मोटरसाईकल लाइसेन्स,हल्की वाहन लाइसेन्स(एलएमवी),भारी वाहन लाइसेन्स(एच एम वी)।
- लर्नर लाइसेन्स आवेदनकारी द्वारा थेयोरी टेस्ट पास करने के बाद पारित किया जाता है।
- ड्राइविन्ग के नियम ''रोड नियमन के नियम''और मोटर अधिनियम 1988 के आधार पर किया गया है।
- ड्राइव करते समय लाइसेन्स की असल कॅापी रखना अनिवार्य है।

भारत में ड्राइविन्ग लाइसेन्स के प्रकार

भारत में अलग-अलग उद्देश्य के लिए भिन्न लाइसेन्स देने की सुविधा है:

1. लर्नर ड्राइविन्ग लाइसेन्स

लर्नर ड्राइविन्ग लाइसेन्स एक अस्थाई लाइसेन्स है जो जारी किए जाने से केवल छह मास की अवधि के लिए ही मान्य होती है।

2. स्थाई ड्राइविन्ग लाइसेन्स

स्थाई ड्राइविन्ग लाइसेन्स उन व्यक्तियों के लिए है जो तीस दिनों के बाद ड्राइव करने में सक्षम होते हैं। लाइसेन्स में वाहन का सिस्टम,ड्राइविन्ग,ट्रैफिक नियम और कानून रहता है।

3. ड्राइविन्ग लाइसेन्स की नकल कॅापी(डुप्लीकेट)

डुप्लीकेट ड्राइविन्ग लाइसेन्स तब जारी किया जाता है जब असल कॅापी गुम,चोरी या नष्ट हो जाती है। इसका आवेदन करने के लिए एक एफ आई आर दर्ज करना होता है,आर टी ओ के पास से चलान क्लियर की रिपोर्ट(व्यापारिक लाइसेन्स के लिए) और एल एल डी से एक आवेदन फॅार्म आवश्यक होता है।

प्राधिकारी सारे रिकॅार्ड की जाँच करते हैं। अगर लाइसेन्स छह महिने पहले एक्सपायर्ड हो गई है और खो गई है तो परिवहन विभाग के हेड क्वाटर(मुख्यालय) से स्वीकृति लेनी पड़ती है।

स्मरण रखने योग्य

लाइसेन्स के असल कॉपी की एक फोटोकॉपी रख लें या इससे संबंधित अन्य जानकारियों को दर्ज करके रख ले जिससे कि प्रधिकारियों को लाइसेन्स फिर से जारी करने में आसानी हो।

1. अंतराष्ट्रिय लाइसेन्स

इस प्रकार का लाइसेन्स देश में आए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। आयु प्रमाण के साथ-साथ उसे वैध पासपोर्ट या विसा जारी करना होता है।

2. मोटरसाईकल या दो-पहिया लाइसेन्स

आर टी ओ मोटरसाईकल के लिए या इसकी तरह अन्य वाहनों के लिए लाइसेन्स प्रदान करता है।

3. हल्की वाहन ड्राइविन्ग लाइसेन्स या एल एम वी

इस प्रकार के लाइसेन्स ऑटो-रिक्शा,मोटर-कार,जीप,तीन पहिए की गाड़ियाँ,टैक्सी आदि के लिए दी जाती है।

4. भारी मोटर वाहन लाइसेन्स(एच एम वी)

बस,ट्रक,यात्रा के बस,क्रेन,सामान वाहक जैसे भारी वाहनो को चलाने के लिए इस तरह का लाइसेन्स प्रदान किया जाता है।

ड्राईव करते समय

#अध्याय -1 #

शराब पी

कर गाडी

ना चलाएं

अभ्यास के लिए प्रश्न

A. निम्नलिखित को मिलाएँ:

a) अस्थाई लाइसेन्स	**1.** एक वर्ष के लिए मान्य
b) स्थाई लाइसेन्स	**2.** उनके लिए है जो तीस दिनों के बाद ड्राइविन्ग के लिए सक्षम हैं।
c) अंतराष्ट्रीय लाइसेन्स	**3.** छह महिनों तक के लिए मान्य

B. सटीक उत्तर का चयन करें

1 14/16 साल की आयु पूर्ण होने के बाद एक व्यक्ति मोटरसाईकल चलाने के लिए सक्षम माना जाता है। [ ]

2 लाइसेन्स प्रत्येक 5/7 वर्ष के बाद रिन्यु होता है। [ ]

C. पूर्ण रुप लिखें:

1. आर टी ओ **-**

2. एच एम वी **-**

3. एल एम वी **-**

1.5 कनडक्टर का लाइसेन्स

1. एक कनडक्टर के लाइसेन्स का क्या महत्व होता है ?

एक स्टेज कैरिज के कनडक्टर के रुप में काम करते हुए,संबंधित अधिकारी द्वारा कनडक्टर लाइसेन्स होना आवश्यक है।

इसके साथ-साथ कोई भी बिना लाइसेन्स के व्यक्ति को एक कनडक्टर के रुप में एक महिने से अधिक नहीं रख सकता है।

2. एक कनडक्टर के लाइसेन्स को रद्द करने के लिए क्या नियम हैं ?

कोई भी लाइसेन्स प्राधिकारी किसी व्यक्ति के कनडक्टलाइसेन्स को कभी भी रद्द कर सकता है। अगर उसे निम्न सबूत मिले तो:

- लाइसेन्स होल्डर को किसी प्रकार की बीमारी हो या उसे अस्वस्थ करने वाली अन्य कोई तथ्य हो।
- अगर संबंधित अधिकारी द्वारा लाइसेन्स पारित न हुआ हो तो। पर इस क्षेत्र में रद्द करने वाले प्राधिकारी को रद्द करने का कारण बताना होगा।

1.6 मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन

1. रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से तुम क्या समझते हो?

रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट का अर्थ है कि एक संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त सर्टिफिकेट जिसमें तय किया गया हो कि वाहन अधिनयम के तहत रजिस्टर किया गया है।

2. रजिस्ट्रेशन की आवश्यक्ता क्यों है ?

आई एम वी 1988 के अधिनियम के चौथे अध्याय के तहत रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वाहन सार्वजनिक स्थान या अन्य किसी भी स्थान पर वाहन नहीं चला सकता है,चाहे वह वाहन का स्वामी ही क्यों न हो।

3. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है ?

प्रत्येक वाहन के मालिक को उसके क्षेत्र के अधीन कार्यरत रजिस्टर प्राधिकारी के पास से अपने वाहन को रजिस्टर करवाना पड़ता है।

4. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होती है ?

एक मोटर वाहन के मालिक को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए निम्न कार्य करने होते है :

- फॉर्म के माध्यम से आवेदन
- केन्द्र सरकार द्वारा जारी जरुरी कागजातों,सूचनाओं के माध्यम से निश्चित अवधि के अंदर आवेदन करना पड़ता है।
- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान।

रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी मोटर वाहन के मालिक को एक ''रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट'' जारी करते हैं। दस्तावेजों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए सारी आवश्यक सूचनाएँ उल्लेखित रहती है।

रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी एक रजिस्टर में भी सारी आवश्यक सूचनाओं को दर्ज करता है जिसको उसे व्यवस्थित रखना पड़ता है।